

भारत सरकार  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1347

मंगलवार, 03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप

1347. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) में पंजीकृत महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या का ब्यौरा क्या है और ये स्टार्टअप राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषकर तमिलनाडु में किन - किन क्षेत्रों में कार्यरत हैं;
- (ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के व्यक्तियों द्वारा स्थापित महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप का और इन स्टार्टअप को प्रदान की गई वित्तपोषण सहायता का राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषकर तमिलनाडु के संबंध में ब्यौरा क्या है;
- (ग) महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए ईकोसिस्टम को सुदृढ़ करने और उनके विकास और वहनीयता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार ने वित्त, प्रौद्योगिकी और बाजार के अवसरों तक पहुंच बनाने में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के समक्ष पेश आ रही चुनौतियों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) : सरकार ने नवप्रयोग, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और देश के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु सुदृढ़ ईकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की।

सा) 127 अधिसूचना .नि.का.अ (दिनांक फरवरी 19, 2019 के तहत उल्लिखित पात्रता शर्तों के अनुसार (डीपीआईआईटी) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग , द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कंपनियों को 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। दिनांक अक्टूबर 31, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कुल 1,52,139 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है, जिनमें से 73,151 स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक है।

तमिलनाडु राज्य सहित, विगत पांच वर्षों अर्थात् 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 में स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों, जिनमें कम से कम एक महिला निदेशक है, की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

विगत पांच वर्षों अर्थात् 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 में स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों, जिनमें कम से कम एक महिला निदेशक है, का उद्योग-वार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(ख) : स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार तीन प्रमुख स्कीमों, नामतः स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) को कार्यान्वित कर रही है, ताकि स्टार्टअप को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों, विभिन्न श्रेणियों और क्षेत्रों में सहायता की जा सके। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत रखा जाने वाला डाटा समावेशी स्वरूप का है।

एफएफएस को उद्यम पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित किया जाता है, जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) - पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) को पूंजी उपलब्ध कराता है, जो आगे स्टार्टअप में निवेश करते हैं। एफएफएस के तहत सहायता प्राप्त एआईएफ को स्टार्टअप में एफएफएस के तहत प्रतिबद्ध राशि का कम से कम 2 गुना निवेश करना आवश्यक है। 31 अक्टूबर, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, सहायता प्राप्त एआईएफ ने महिलाओं के नेतृत्व वाले 149 स्टार्टअप में 3,107.11 करोड़ रुपए का निवेश किया है। चयनित एआईएफ द्वारा महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप में निवेश की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार राशि अनुबंध-III में दी गई है।

एसआईएसएफएस इन्क्यूबेटरों के माध्यम से आरंभिक स्तर पर स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एसआईएसएफएस को 01 अप्रैल, 2021 से कार्यान्वित किया गया है। 31 अक्टूबर, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, स्कीम के तहत सहायता प्राप्त इन्क्यूबेटरों ने महिलाओं के नेतृत्व वाले 1,278 स्टार्टअप के लिए 227.12 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की है। चयनित इन्क्यूबेटरों द्वारा महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को अनुमोदित राशि की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची अनुबंध-IV में दी गई है।

सीजीएसएस को पात्र वित्तीय संस्थानों [सदस्य संस्थानों (एमआई)] के माध्यम से स्टार्टअप को बंधकरहित ऋण प्रदान करने के लिए लागू किया गया है। सीजीएसएस का संचालन राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा किया जाता है और इसे 1 अप्रैल, 2023 से शुरू किया गया है। 31 अक्टूबर, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, सीजीएसएस के तहत महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप उधारकर्ताओं को 24.6 करोड़ रुपए की कुल राशि के 18 ऋणों की गारंटी दी गई है। इसका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-V में दिया गया है।

(ग) और (घ) : महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप हेतु ईकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए, सरकार स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कुछ विशिष्ट स्कीमों/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है, जो महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को वित्त, प्रौद्योगिकी और बाजार के अवसरों का लाभ

उठाने की दिशा में सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ऐसी सरकारी पहलों का विवरण अनुबंध-VI में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

दिनांक 03.12.2024. को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1347 के भाग के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध (क)

विगत पांच वर्षों अर्थात् 2019, 2020, 2021, 2022 तथा 2023 में कम से कम एक महिला निदेशक वाले स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या का विवरण निम्नानुसार है :-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019	2020	2021	2022	2023
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4	2	5	5	3
आंध्र प्रदेश	92	102	136	173	294
अरुणाचल प्रदेश	0	0	3	5	8
असम	30	52	83	122	168
बिहार	59	113	183	256	384
चंडीगढ़	21	27	38	36	64
छत्तीसगढ़	69	54	82	91	148
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1	3	4	7	6
दिल्ली	671	835	1,197	1,282	1,610
गोवा	22	27	40	49	40
गुजरात	313	364	799	942	1,432
हरियाणा	359	373	531	675	893
हिमाचल प्रदेश	14	12	23	56	65
जम्मू और कश्मीर	12	23	40	71	82
झारखंड	37	85	88	108	172
कर्नाटक	806	753	1,063	1,243	1,502
केरल	267	248	397	431	533
लद्दाख	0	1	0	1	3
लक्षद्वीप	0	1	0	0	0
मध्य प्रदेश	150	173	263	420	623
महाराष्ट्र	1,110	1,302	1,938	2,412	2,916
मणिपुर	1	5	21	13	7
मेघालय	5	0	5	5	6
मिजोरम	0	1	1	3	6
नागालैंड	1	3	5	3	12
ओडिशा	90	125	196	230	329
पुदुच्चेरी	6	3	7	12	21
पंजाब	54	72	125	147	226
राजस्थान	190	205	301	459	690
सिक्किम	0	1	0	2	1
तमिलनाडु	317	379	592	920	1,334
तेलंगाना	306	391	520	721	917

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019	2020	2021	2022	2023
त्रिपुरा	4	10	4	13	8
उत्तर प्रदेश	449	663	1,065	1,304	1,784
उत्तराखण्ड	57	53	77	121	125
पश्चिम बंगाल	158	198	360	528	621
<b>कुल योग</b>	<b>5,675</b>	<b>6,659</b>	<b>10,192</b>	<b>12,866</b>	<b>17,033</b>

\*\*\*\*\*

अनुबंध-II

दिनांक 03.12.2024. को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1347 के भाग के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध (क)

विगत पांच वर्षों अर्थात् 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 में कम से कम एक महिला निदेशक वाले स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों की उद्योग-वार संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

उद्योग	2019	2020	2021	2022	2023
विज्ञापन	46	43	57	54	143
एरोनॉटिक्स एरोस्पेस और रक्षा	39	46	86	139	174
कृषि	233	300	536	723	1103
एआई	153	129	152	147	234
एयरपोर्ट संचालन	0	1	4	2	7
एनालिटिक्स	55	49	83	64	79
एनीमेशन	7	4	6	14	17
एआर वीआर (ऑगमेंटेड + वर्चुअल रियलिटी)	37	24	34	47	43
आर्किटेक्चर इंटीरियर डिजाइन	42	53	58	82	122
कला और फोटोग्राफी	22	25	33	48	78
ऑटोमोटिव	81	96	199	302	374
जैव प्रौद्योगिकी	0	4	55	63	88
रसायन	34	56	129	144	202
कंप्यूटर विज्ञान	18	20	22	16	23
निर्माण	164	256	412	631	1011
डेटिंग मैट्रीमोनियल	8	5	3	12	6
डिजाइन	50	50	53	64	91
शिक्षा	382	443	672	866	935
एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर	133	102	130	173	254
इवेन्ट	22	31	39	41	77
फैशन	86	99	149	221	418
वित्त प्रौद्योगिकी	203	185	273	359	464
खाद्य और पेय पदार्थ	287	326	549	754	1085
ग्रीन टेक्नोलॉजी	187	162	175	238	334
हेल्थकेयर और लाइफ साइंसेज	573	684	1018	1388	1762
घरेलू सेवाएं	41	46	57	86	156
मानव संसाधन	116	156	209	372	467
भारतीय भाषा स्टार्टअप	0	7	32	44	72
इंटरनेट ऑफ थिंग्स	135	99	118	108	108
आईटी सेवाएं	810	882	1087	1357	1802
लॉजिस्टिक्स	0	6	75	75	118
मार्केटिंग	128	187	179	218	306
मीडिया और मनोरंजन	106	99	130	168	245
नैनो प्रौद्योगिकी	14	10	12	21	19
गैर-नवीकरणीय ऊर्जा	19	190	349	151	157
अदर स्पेशलिटी रिटेलर्स	39	63	51	74	158

अन्य	0	28	493	589	112
यात्री अनुभव	0	0	1	1	3
पालतु पशु एवं पशु	16	16	28	47	61
पेशेवर और वाणिज्यिक सेवाएं	257	399	633	617	877
रियल एस्टेट	49	42	52	116	172
अक्षय ऊर्जा	154	161	242	297	449
रिटेल	145	181	190	291	348
रोबोटिक्स	39	25	37	44	61
सुरक्षा	18	28	43	43	40
सुरक्षा समाधान	55	76	123	138	181
सामाजिक प्रभाव	49	41	83	80	113
सामाजिक नेटवर्क	67	31	58	57	58
खेल	26	45	35	61	67
प्रौद्योगिकी हार्डवेयर	168	245	296	354	541
दूरसंचार और नेटवर्किंग	58	85	90	108	151
वस्त्र और परिधान	79	109	184	253	356
खिलौने और खेल	0	1	40	52	75
परिवहन और भंडारण	105	120	120	135	182
यात्रा और पर्यटन	119	81	119	158	276
अपशिष्ट प्रबंधन	1	7	99	159	178
<b>कुल योग</b>	<b>5,675</b>	<b>6,659</b>	<b>10,192</b>	<b>12,866</b>	<b>17,033</b>

\*\*\*\*\*

अनुबंध-III

दिनांक 03.12.2024. को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1347 के भाग ) ख के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध (

31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु राज्य सहित, एफएफएस के तहत चयनित एआईएफ द्वारा महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स में किए गए निवेश का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स की संख्या	चयनित एआईएफ द्वारा निवेश की गई राशि (करोड़ रुपए में)
कर्नाटक	40	1,051.38
महाराष्ट्र	37	731.02
दिल्ली	29	446.48
गुजरात	11	227.31
हरियाणा	7	171.10
तमिलनाडु	5	32.34
केरल	4	233.71
तेलंगाना	3	5.23
उत्तर प्रदेश	3	54.09
राजस्थान	2	90.50
पंजाब	2	3.50
असम	2	0.65
मणिपुर	1	1.65
मध्य प्रदेश	1	0.35
नागालैंड	1	26.98
मेघालय	1	30.82
<b>कुल</b>	<b>149</b>	<b>3,107.11</b>

\*\*\*\*\*



दिनांक 03.12.2024. को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1347 के भाग ) ख के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध (

31 अक्टूबर, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य सहित एसआईएसएफएस के तहत चयनित इन्क्यूबेटरों द्वारा महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण निम्नानुसार है: -

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महिला नेतृत्व वाले चयनित स्टार्टअप की संख्या	चयनित इन्क्यूबेटरों द्वारा अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)
महाराष्ट्र	244	43.17
कर्नाटक	175	35.71
तमिलनाडु	128	21.86
उत्तर प्रदेश	98	17.64
दिल्ली	90	16.82
गुजरात	86	15.48
तेलंगाना	75	16.38
हरियाणा	60	9.13
मध्य प्रदेश	54	7.78
राजस्थान	44	7.56
ओडिशा	34	4.25
बिहार	21	3.93
केरल	21	4.22
आंध्र प्रदेश	20	4.53
पश्चिम बंगाल	19	2.81
पंजाब	19	2.42
असम	16	1.63
हिमाचल प्रदेश	11	1.44
नागालैंड	11	2.08
गोवा	9	1.20
उत्तराखंड	7	1.50
जम्मू और कश्मीर	7	1.55
झारखंड	7	1.35
छत्तीसगढ़	7	0.76
चंडीगढ़	6	0.80
मेघालय	2	0.24
पुदुच्चेरी	2	0.36
मिजोरम	2	0.25
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	0.04
अरुणाचल प्रदेश	1	0.20
सिक्किम	1	0.05
<b>कुल योग</b>	<b>1,278</b>	<b>227.12</b>

\* \* \* \* \*

दिनांक 03.12.2024. को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1347 के भाग ) ख के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध (

31 अक्टूबर, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य सहित सीजीएसएस के तहत महिला नेतृत्व वाले ऋणप्राप्तकर्ता स्टार्टअप को गारंटीकृत ऋण राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गारंटी प्रदान किए गए ऋणों की संख्या	गारंटी प्रदान किए गए ऋण की कुल राशि (राशि करोड़ रुपए में)
बिहार	1	0.28
दिल्ली	3	4.70
हरियाणा	4	11.64
कर्नाटक	3	5.38
केरल	1	0.50
महाराष्ट्र	1	0.65
राजस्थान	1	0.50
तमिलनाडु	3	0.65
तेलंगाना	1	0.30
<b>कुल</b>	<b>18</b>	<b>24.6</b>

\*\*\*\*\*

दिनांक 03.12.2024. को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1347 के भाग ) ग ( और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए ईकोसिस्टम को सुदृढ़ करने और उनकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए कार्यक्रम:

1. महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में इकटिरी और ऋण दोनों के अंतर्वाह को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष स्कीम में निधि का 10% महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए आरक्षित है।
2. महिलाओं द्वारा संचालित वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) उच्च स्तर के प्रबंधन शुल्क (0.1% प्रति वर्ष) के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं। यही लाभ उन एआईएफ को भी दिया जाता है, जो महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप पर केंद्रित हैं।
3. महिला क्षमता विकास कार्यक्रम (विंग) महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए एक विशिष्ट क्षमता विकास कार्यक्रम है, जो महत्वाकांक्षी और स्थापित दोनों महिला उद्यमियों को उनकी स्टार्टअप यात्रा को चिह्नित करने और सहायता करने के लिए है। प्रौद्योगिकी, निर्माण, उत्पाद, मशीन, खाद्य, कृषि, शिक्षा आदि सहित विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए कार्यशालाएं चलाई जाती हैं। ये कार्यशालाएं, उभरती महिला उद्यमियों और अन्य हितधारकों के लिए महिला उद्यमियों के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती हैं। विंग कार्यशालाओं ने समस्याओं का समाधान पाने के लिए सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों और अनुभवों को साझा करने और भारतीय संदर्भ में अपनाए गए व्यावसायिक मॉडल से सीखने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया है।
4. महिला उद्यमियों के लिए वर्चुअल इन्क्यूबेशन कार्यक्रम, जोन स्टार्टअप्स के सहयोग से प्रो-बोनो एक्सेलेरेशन सहायता के साथ महिला नेतृत्व वाले तकनीकी स्टार्टअप्स की सहायता करने के लिए आयोजित किया गया था।
5. स्टार्टअप इंडिया हब: स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर महिला उद्यमियों को समर्पित एक वेबपेज डिजाइन किया गया है। इस पेज में महिला उद्यमियों के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न नीतिगत उपाय शामिल हैं।
6. महिलाओं के लिए एसेन्ड स्टार्टअप कार्यशाला श्रृंखला और स्टार्टअप कार्यशालाएं: सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्यमियों, उभरते उद्यमियों और छात्रों के लिए स्टार्टअप कार्यशालाओं की एक श्रृंखला - एसेन्ड (एक्सीलरेटिंग स्टार्टअप कैलिबर एंड एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव) का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, ये कार्यशालाएं पूर्वोत्तर राज्यों में महिला उद्यमियों पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से आयोजित की जाती हैं। इन कार्यशालाओं में सरकारी अधिकारियों, स्टार्टअप, उभरते हुए उद्यमियों, निवेशकों, शैक्षणिक संस्थानों आदि जैसे ईकोसिस्टम हितधारकों की भागीदारी देखी गई है।
7. सुपर स्त्री पॉडकास्ट: भारत के सभी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से, भारतीय स्टार्टअप ईकोसिस्टम में महिलाओं पर सुपरस्त्री वीडियो पॉडकास्ट सीरिज शुरू की गई है। यह पॉडकास्ट महिलाओं में नवप्रयोग से संबंधित जागरूकता फैलाते हैं और देश में महिला उद्यमिता को और सुदृढ़ करता है।
8. अपने विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों और सरकार द्वारा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से तथा प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के द्वारा, सरकार मौजूदा योजनाओं के बारे में भी जागरूकता उत्पन्न करती है। ये कार्यक्रम महिला उद्यमियों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को सहायता पहुंचाते हैं।

9. महिलाओं के लिए स्टार्टअप: महत्वाकांक्षी और मौजूदा महिला उद्यमियों की क्षमता निर्माण के लिए महिला उद्यमियों हेतु सभी राज्यों में राज्य कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं में सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता, माँक पिचिंग और वित्त-संबंधी प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया।
10. राष्ट्रपति के साथ महिला उद्यमियों की वार्ता: 18 जनवरी 2024 को, "द प्रेसिडेंट विद द पीपल" पहल के अंतर्गत, भारत के माननीय राष्ट्रपति के साथ 25 महिला उद्यमियों को वार्ता करने का अवसर मिला। इस वार्ता में नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और भारत के बढ़ते स्टार्टअप ईकोसिस्टम में योगदान देने में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। माननीय राष्ट्रपति ने आइडिया को उद्यम में बदलने के उनके प्रयासों की सराहना की और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने में उनकी सफलता के महत्व पर जोर दिया।
11. राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग मुख्य रूप से सभी भारतीय राज्यों में स्टार्टअप ईकोसिस्टम की सहायता करने वाली उत्कृष्ट कार्य-पद्धतियों की पहचान करने की एक प्रक्रिया है। मूल्यांकन में प्रत्येक राज्य में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन तथा विशेष प्रोत्साहन का आकलन करने के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल किए गए हैं। विशेष कार्रवाई बिंदु पर सक्रिय भागीदारी देखी गई है और उसमें भाग लेने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए उपायों की रिपोर्टिंग की गई है।
12. देश में नवप्रयोग, समावेशिता और विविधता तथा उद्यमशीलता की व्यापकता, गुणवत्ता की पहचान करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार ('एनएसए') की शुरुआत की है। एनएसए 20 क्षेत्रों और विशेष श्रेणियों में स्टार्टअप को मान्यता देता है और इनका संवर्धन करता है। एनएसए के सभी चार संस्करणों (2020, 2021, 2022 और 2023) में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए विशेष श्रेणी और पुरस्कार को शामिल किया गया है।

\*\*\*\*\*